

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग
क्रमांक : प. 10(37)आयु./2018 पार्ट-6

जयपुर, दिनांक : 27 JUN 2018

-: आदेश :-

विभाग द्वारा दिनांक 12.3.2018 के पश्चात् उक्त आदेश जारी होने की दिनांक तक चिकित्साधिकारियों के जारी किए गए विभिन्न स्थानांतरण आदेशों में जिन चिकित्साधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन प्रशासनिक कारणों के लिए हुए, उन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता दिए जाने के निर्देश जारी किए गए, को यात्रा भत्ता के साथ नियमानुसार योगकाल दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से

(कुन्दन कुमार माथुर)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर एवं निदेशक, यूनानी/होम्योपैथी, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रभावित कार्मिकों द्वारा उक्त संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों/राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में स्थगन एवं अन्य आदेश पारित करवाये हैं, संबंधित समस्त प्रकरणों के निस्तारण तत्काल करवा कर अवगत करावें।
3. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

राजस्थान-सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

क्रमांक प.1/प्रति 1/प्रति-1/चिकि0/स्थाना0/2018/ 10093

दिनांक 27-6-2018

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज0 जयपुर
2. उप विधी परामर्शी निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर
3. निजी सहायक अतिरिक्त निदेशक निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग
5. अतिरिक्त निदेशक, राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाये
6. समस्त व्यवस्थापक राजकीय आयुर्वेद रसायनशालाये
7. समस्त उप निदेशक आयुर्वेद विभाग
8. प्रोग्रामर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं सम्बन्धित कार्यालय को जरिये ई-मेल भिजवाने हेतु।
9. सामान्य पत्रावली

(आनन्द कुमार शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(आयु.)